10/2/20

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी / वकील उभय पक्ष हाजिर SDO सा० / अवकाशपर / कृपया उन्हें पत्रावली दिनांक 11/2/20 को पेश करें।

11/2/20

पत्रावली पाले निर्णय प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष अपने वकील प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए बताया की प्रार्थी के नाम से रोही उदपुर के खाता सं० 16 की ख०नं० 88 में 11.549 हे० व ख०नं० 90 5.553 हे० तथा चक 5-6 MRM का खाता सं० 21 में ख०नं० 79/62 में 1.012 हे० कृषि है कुल 73-05 बीघा खातेदारी की उक्त कृषि भूमि में खातेदार में वो चक बनाने पर सेलेक्शन किया हुआ चक 5-6 MRM का ख०नं० 79/62 का कि०नं० 16-17-24-25 की 4.00 बीघा में ... कर दी गयी। शेष कृषि चक बनाने में उदपुर गोदारान के ख०नं० 88 व 90 में दर्ज है। अप्रार्थी न०1 गोपी वां पुत्र ... को रोही उदपुर गोदारान का ख०नं० 78 में 34.00 बीघा कृषि दिनांक 23.5.77 को आवंटन पर आवंटन हुई थी, दिनांक 10.07.07 को ख०नं० 78 की 18-07 बीघा कृषि कमांड आवेदन करने के आदेश दिये गये थे व 12.00 बीघा तेरी खारिज कर अधिशेष घोषित कर दी गयी

फर्द अहकाम

प्रकरण सं. 49/2019

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11/2/20	सपष्ट भूमि खातेदारान व प्रार्थी के नाम खसरा नं० 80 व 90 में व अप्रार्थी के नाम ख०नं० 78/34.00 बीघा भूमि खा/खतौनी शामिल में विभाजन किये थे, उसी पर दोनों पक्षकारान काबिज करते आ रहे हैं। खातेदारान की भूमि रहते किसी भी पक्षकार द्वारा बीमार्गाज नहीं कराया व ना ही मौका पर रास्ता की कोई परेशानी इन्कार की, विभाजन तकलीफ भी नहीं होने दोनों पक्षकार अपने-2 हिस्सा पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी-1 ने अपनी भूमि की विभाजन कराने की पहली अप्रार्थी का मौका पर जिस हिस्सा पर कब्जा नहीं था वह भी विभाजन में प्राप्त कर लिया। प्रार्थी काफी वर्षों से काबिज है व उसकी जरूरत है। प्रार्थी के नाम वाले चक 5-6 MRM ख०नं० 79/62 कि०नं० 23 की 1.00 बीघा भूमि पर डिग्गी का निर्माण करा रखा है, उसमें 1.00 बीघा को खातेदार बतौर छोड़कर राजस्व रिकॉर्ड में आबंटन दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त 1.00 बीघा के बदले 1.00 बीघा भूमि अप्रा.1 को देना है एवं अन्य विकल्प के रूप में अप्रार्थी के नाम की 12.00 बीघा अविभाज्य रकबा तक भूमि में से 1.00 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज की पड़ी। प्रार्थी एवं चौधरी भूमि का कब्जा छोड़ने के लिये दिनांक 20.5.2019 को मौका पर ऐसा किया सहमति दी है। जहाँ यह बाकायदा हो गया उसे ना छोड़ा तो वाद उपाय होगा। इसलिये न्याय के मद्देनजर चक 5-6 MKM का ख०नं० 79/62 का कि०नं० 23 की 1.00 बीघा भूमि जिस पर प्रार्थी की डिग्गी बनी हुई है	

व कब्जा काश्त में है कि बहल, अप्रार्थी न. 1 किसी प्रकार दोनो वाद का किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, व किसी व दोनो की स्थिति में परिवर्तन नही करे।

वकील अप्रार्थी ने बहस की प्रार्थी मौके खातेदारी भूमि अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। यह स्वयं स्वीकार कर रहे है कि उनका कब्जा है। अप्रार्थी खसरा नं0 23 की भूमि पर किसी निर्माण की स्वीकृति नही दी गई है। अप्रार्थी खातेदार भूमि का अंकित मालिक है व राजस्व रिकार्ड में अंकित मालिक के विरुद्ध किसी प्रकार का स्थगन नही दिया जा सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

वकील उत्तर पक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अनुसार अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी स्वयं भी इसे स्वीकार कर रहे है। खातेदार कृषक के विरुद्ध स्थगनादेश जारी उचित नही है एवं प्रार्थी को अपने पक्ष में किसी प्रकार का स्थगन का औचित्य नही पाया है इसलिये अंकित खातेदार के विरुद्ध स्थगन जारी किया जाना उचित नही है। प्रार्थना अस्वीकार किया जाना ही उचित जान पड़ता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना 212RTA अस्वीकार होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियत पेशी पर पेश हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.25 12:55:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: